

प्रेषक,

आलोक कुमार,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक : १९ जुलाई, २०१७

विषय:-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी०एम०एच०एस०) संवर्ग के सेवानिवृत्त एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों को ६५ वर्ष की आयु तक पुनर्योजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/२०१७-१८/५८३९, दिनांक ११.०७.२०१७ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी०एम०एच०एस०) संवर्ग के सेवानिवृत्त एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों को ६५ वर्ष की आयु तक पुनर्योजित किये जाने के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों के पुनर्योजन हेतु विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्साधिकारियों की रिक्तियों आदि के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता के आधार पर प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी०एम०एच०एस०) संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ/एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों को ६५ वर्ष की आयु तक पुनर्योजित किये जाने के सम्बन्ध में जनपदवार पद सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

| क्र० सं० | जनपद का नाम | पुनर्योजन के स्वीकृत पद | एम०बी०बी०एस० के पद | विशेषज्ञ के पद |
|----------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | एटा | १८ | ११ | ७ |
| २ | झाँसी | ८ | २ | ६ |
| ३ | इटावा | १७ | ११ | ६ |
| ४ | इलाहाबाद | १२ | २ | १० |
| ५ | बलिया | ५ | २ | ३ |
| ६ | बहराइच | १२ | ८ | ४ |
| ७ | बरेली | ८ | २ | ६ |
| ८ | बाराबंकी | ५ | २ | ३ |
| ९ | बौदा | १५ | १० | ५ |
| १० | बागपत | १३ | १० | ३ |
| ११ | बस्ती | १० | ३ | ७ |
| १२ | बदायूँ | १३ | ९ | ४ |
| १३ | बुलन्दशहर | ९ | ३ | ६ |
| १४ | बलरामपुर | १६ | १२ | ४ |
| १५ | कासगंज | १७ | १२ | ५ |

| | | | | |
|----|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 16 | कौशाम्बी | 12 | 8 | 4 |
| 17 | कानपुर देहात | 9 | 3 | 6 |
| 18 | कानपुर नगर | 12 | 2 | 10 |
| 19 | कुशीनगर | 14 | 8 | 6 |
| 20 | कन्नौज | 18 | 10 | 8 |
| 21 | मऊ | 14 | 7 | 7 |
| 22 | मथुरा | 11 | 3 | 8 |
| 23 | महराजगंज | 17 | 10 | 7 |
| 24 | महोबा | 16 | 12 | 4 |
| 25 | मुरादाबाद | 7 | 2 | 5 |
| 26 | मुजफ्फरनगर | 12 | 6 | 6 |
| 27 | मेरठ | 5 | 2 | 3 |
| 28 | मैनपुरी | 16 | 12 | 4 |
| 29 | बिजनौर | 18 | 12 | 6 |
| 30 | मिर्जापुर | 12 | 7 | 5 |
| 31 | सिद्धार्थनगर | 14 | 8 | 6 |
| 32 | चित्रकूट | 17 | 12 | 5 |
| 33 | फिरोजाबाद | 9 | 3 | 6 |
| 34 | हमीरपुर | 20 | 12 | 8 |
| 35 | हरदोई | 11 | 7 | 4 |
| 36 | हाथरस | 19 | 10 | 9 |
| 37 | हापुड़ | 21 | 9 | 12 |
| 38 | पीलीभीत | 18 | 10 | 8 |
| 39 | प्रतापगढ़ | 8 | 3 | 5 |
| 40 | रायबरेली | 8 | 3 | 5 |
| 41 | रामपुर | 18 | 10 | 8 |
| 42 | श्रावस्ती | 20 | 14 | 6 |
| 43 | शाहजहाँपुर | 14 | 9 | 5 |
| 44 | सम्भल | 19 | 10 | 9 |
| 45 | सहारनपुर | 15 | 8 | 7 |
| 46 | सीतापुर | 9 | 4 | 5 |
| 47 | शामली | 18 | 9 | 9 |
| 48 | सोनभद्र | 16 | 9 | 7 |
| 49 | सुल्तानपुर | 10 | 5 | 5 |
| 50 | सन्तकबीर नगर | 15 | 9 | 6 |
| 51 | सन्तरविदास नगर (भदोही) | 12 | 6 | 6 |
| 52 | उन्नाव | 10 | 3 | 7 |
| 53 | देवरिया | 7 | 4 | 3 |
| 54 | वाराणसी | 10 | 2 | 8 |
| 55 | चन्दौली | 10 | 3 | 7 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 56 | फरुखाबाद | 16 | 9 | 7 |
| 57 | फतेहपुर | 13 | 6 | 7 |
| 58 | फैजाबाद | 9 | 3 | 6 |
| 59 | जौनपुर | 5 | 3 | 2 |
| 60 | जालौन स्थान | 17 | 8 | 9 |
| 61 | अम्बेडकर नगर | 11 | 8 | 3 |
| 62 | अमरोहा | 19 | 9 | 10 |
| 63 | अमेठी | 16 | 9 | 7 |
| 64 | औरैया | 17 | 9 | 8 |
| 65 | आजमगढ़ | 10 | 4 | 6 |
| 66 | आगरा | 10 | 2 | 8 |
| 67 | अलीगढ़ | 8 | 3 | 5 |
| 68 | गाजियाबाद | 10 | 2 | 8 |
| 69 | गोण्डा | 15 | 8 | 7 |
| 70 | गोरखपुर | 5 | 3 | 2 |
| 71 | गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) | 13 | 7 | 6 |
| 72 | गाजीपुर | 6 | 3 | 3 |
| 73 | लखीमपुर खीरी | 15 | 8 | 7 |
| 74 | लखनऊ | 50 | 2 | 48 |
| 75 | ललितपुर | 16 | 9 | 7 |
| | योग | 1000 | 500 | 500 |

3- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी0एम0एच0एस0) संवर्ग के सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों को 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,


(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या-2996 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला/पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
12. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।
13. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।

Pajech
18-7-17

आज्ञा से,
Jto
(जे०एल० यादव)
अनु सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक : १९ जुलाई, २०१७

विषय:-पी०एम०एच०एस० संवर्ग में एम०बी०बी०एस० चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/२०१७-१८/५८३९, दिनांक ११.०७.२०१७ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी०एम०एच०एस०) संवर्ग में एम०बी०बी०एस० चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता के आधार पर प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी०एम०एच०एस०) संवर्ग एम०बी०बी०एस० चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में जनपदवार पदों का सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्धारण किया जाता है:-

| क्र० सं० | जनपद का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद | आवंटित पद |
|----------|-------------|------------|------------|----------|-----------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | एटा | ५७ | १४ | ४३ | १५ |
| २ | झोंसी | ९२ | ५० | ४२ | १५ |
| ३ | इटावा | १२५ | ७० | ५५ | १९ |
| ४ | इलाहाबाद | १८१ | १५५ | २६ | ९ |
| ५ | बलिया | १३८ | ७८ | ६० | २१ |
| ६ | बहराइच | १२० | ५२ | ६८ | २० |
| ७ | बरेली | १३८ | ६० | ७८ | २२ |
| ८ | बाराबंकी | १४९ | १३८ | ११ | ८ |
| ९ | बाँदा | ७७ | ४३ | ३४ | १२ |
| १० | बागपत | ६५ | ५२ | १३ | ११ |
| ११ | बस्ती | ९३ | ३२ | ६१ | १८ |
| १२ | बदायूँ | १११ | ३५ | ७६ | २० |
| १३ | बुलन्दशहर | ११३ | ५२ | ६१ | २१ |
| १४ | बलरामपुर | ७६ | २३ | ५३ | १९ |
| १५ | कासगंज | ४६ | २४ | २२ | ८ |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-----|-----|----|
| 16 | कौशाम्बी | 38 | 49 | .11 | 12 |
| 17 | कानपुर देहात | 80 | 58 | 22 | 8 |
| 18 | कानपुर नगर | 103 | 71 | 32 | 11 |
| 19 | कुशीनगर | 137 | 53 | 84 | 16 |
| 20 | कन्नौज | 60 | 35 | 25 | 9 |
| 21 | मऊ | 73 | 66 | 7 | 2 |
| 22 | मथुरा | 81 | 62 | 19 | 7 |
| 23 | महराजगंज | 91 | 64 | 27 | 9 |
| 24 | महोबा | 43 | 40 | 3 | 6 |
| 25 | मुरादाबाद | 68 | 42 | 26 | 9 |
| 26 | मुजफ्फरनगर | 91 | 51 | 40 | 14 |
| 27 | मेरठ | 92 | 66 | 26 | 9 |
| 28 | मैनपुरी | 52 | 41 | 11 | 5 |
| 29 | बिजनौर | 110 | 51 | 59 | 21 |
| 30 | मिर्जापुर | 104 | 72 | 32 | 11 |
| 31 | सिद्धार्थनगर | 127 | 45 | 82 | 16 |
| 32 | चित्रकूट | 65 | 11 | 54 | 19 |
| 33 | फिरोजाबाद | 78 | 44 | 34 | 12 |
| 34 | हमीरपुर | 80 | 19 | 61 | 16 |
| 35 | हरदोई | 136 | 104 | 32 | 11 |
| 36 | हाथरस | 61 | 41 | 20 | 7 |
| 37 | हापुड़ | 32 | 36 | .4 | 10 |
| 38 | पीलीभीत | 55 | 47 | 8 | 9 |
| 39 | प्रतापगढ़ | 199 | 131 | 68 | 14 |
| 40 | रायबरेली | 160 | 99 | 61 | 21 |
| 41 | रामपुर | 54 | 29 | 25 | 9 |
| 42 | श्रावस्ती | 47 | 17 | 30 | 11 |
| 43 | शाहजहाँपुर | 108 | 34 | 74 | 16 |
| 44 | सम्भल | 95 | 23 | 72 | 20 |
| 45 | सहारनपुर | 116 | 41 | 75 | 15 |
| 46 | सीतापुर | 139 | 122 | 17 | 6 |
| 47 | सामली | 57 | 18 | 39 | 14 |
| 48 | सोनभद्र | 139 | 80 | 59 | 21 |
| 49 | सुल्तानपुर | 97 | 65 | 32 | 11 |
| 50 | सन्तकबीर नगर | 34 | 49 | .15 | 10 |
| 51 | सन्तरविदास नगर (भदोही) | 40 | 20 | 20 | 7 |
| 52 | उन्नाव | 111 | 80 | 31 | 11 |
| 53 | देवरिया | 145 | 64 | 81 | 24 |
| 54 | वाराणसी | 61 | 78 | .17 | 10 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 55 | चन्दौली | 51 | 45 | 6 | 5 |
| 56 | फरुखाबाद | 81 | 30 | 51 | 18 |
| 57 | फतेहपुर | 96 | 80 | 16 | 6 |
| 58 | फैजाबाद | 81 | 86 | 5 | 15 |
| 59 | जौनपुर | 202 | 99 | 103 | 15 |
| 60 | जालौन स्थान | 53 | 24 | 29 | 10 |
| 61 | अम्बेडकर नगर | 83 | 56 | 27 | 9 |
| 62 | अमरोहा | 70 | 24 | 46 | 16 |
| 63 | अमेठी | 85 | 81 | 4 | 8 |
| 64 | औरैया | 62 | 26 | 36 | 13 |
| 65 | आजमगढ़ | 223 | 95 | 128 | 23 |
| 66 | आगरा | 125 | 77 | 48 | 17 |
| 67 | अलीगढ़ | 103 | 64 | 39 | 14 |
| 68 | गाजियाबाद | 35 | 48 | 13 | 13 |
| 69 | गोण्डा | 121 | 46 | 75 | 24 |
| 70 | गोरखपुर | 202 | 156 | 46 | 16 |
| 71 | गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) | 48 | 28 | 20 | 7 |
| 72 | गाजीपुर | 128 | 61 | 67 | 21 |
| 73 | लखीमपुर खीरी | 130 | 56 | 74 | 22 |
| 74 | लखनऊ | 96 | 89 | 7 | 13 |
| 75 | ललितपुर | 46 | 31 | 15 | 10 |
| | योग | 7161 | 4298 | 2863 | 1000 |

3- श्रेणी 'बी' के जनपदों में एक एम0बी0बी0एस0 इ0एम0ओ0 प्रत्येक जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला) में तैनात किया जायेगा, जिसकी संख्या-29X2 = 58 होगी। सी एवं डी श्रेणी के जनपदों में दो एम0बी0बी0एस0 इ0एम0ओ0 प्रति जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला) में तैनात किया जायेगा, जिसकी संख्या-30X2X2 = 120 होगी। ए श्रेणी के जनपद में इ0एम0ओ0 की तैनाती नहीं की जायेगी।

4- वह जनपद जो श्रेणी 'सी' एवं 'डी' के अंतर्गत आते हैं उनमें साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से, विशेषज्ञों को प्राथमिकता पर जिला चिकित्सालय में तैनात किया जायेगा तथा वह जनपद जो श्रेणी 'ए' एवं 'बी' के अंतर्गत आते हैं उनमें साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से विशेषज्ञों को प्राथमिकता पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया जायेगा।

5- एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के पदों पर आवेदन हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

6- मेरिट लिस्ट तैयार करते समय अभ्यर्थियों के कार्य अनुभव (Work Experience) को भी आधार बनाया जायेगा।

7- तैनाती के लिए इच्छुक जनपद (जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के विकल्प को ध्यान में रखते हुए यथा संभव, तैनाती अनुबन्ध के आधार पर की जायेगी।

8- तैनाती स्थान के सक्षम अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष/महिला) द्वारा मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

9- आवेदक द्वारा रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर आवेदन पत्र में उल्लिखित घोषणा का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10- उक्त के अतिरिक्त प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी0एम0एच0एस0) संवर्ग में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


भवदीय,



(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या-2997 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला/पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
12. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।
13. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।


18.7.17

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।